न्यायालय सिविल जज (जू०डि०) भोगनीपुर कानपुर देहात।
मूल वाद सं०–

लाभेशचन्द्र आदि बनाम कल्लू आदि।

दिनांक 26/08/2022

पत्रावली पेश हुयी। प्रार्थना पत्र 6 ग 2 मय शपथ पत्र 7 ग 2 अन्तर्गत आदेश 39 नियम 1 व 2 सपठित धारा 151 सी०पी०सी० पर वादीगण के विद्वान अधिवक्ता को सुना तथा सूची 8 ग से दाखिल प्रपत्रों का मय पत्रावली सम्यक अवलोकन किया। शपथकर्ता का कथन है कि वह उक्त मुकदमें में वादी सं–01 है तथा इस शपथपत्र में किये गये कथनों से वाकिफ हूं। वादीगण भूमि सं–245 ख रकबा 0.0150 हे० स्थित मौजा अमराहट पूर्व तहसील भोगनीपुर वर्तमान तहसील सिकन्द्रा जिला कानपुर देहात के पंजीकृत मालिक व स्वामी है जिनका नाम राजस्व अभिलेखों में भी दर्ज है और वे संक्रमणीय भूमिधर व काश्तकार हैं। प्रश्नगत स्थल जो कि वर्तमान समय में बशक्ल प्लाट है तथा वादीगण के अलावा उसका कोई भी हकदार या मालिक व स्वामी नहीं है मात्र वादीगण एक मात्र उसके मालिक व स्वामी व अधिकारी तथा काबिज व दखील है। प्रश्नगत स्थल जो कि गांव के आबादी में स्थित है जिसका प्रतिवादीगण से कोई वास्ता नहीं है और न ही उसके किसी भी दिशा में प्रतिवादीगण का मकान या कृषि भूमि इत्यादि ही स्थित है प्रतिवादीगण जबरन वादीगण के प्रश्नगत स्थल पर कब्जा करना चाहते हैं। प्रतिवादीगण ने प्रश्नगत स्थल को उनको विक्रीत करने हेतु वादीगण से कहा था जिस पर वादीगण के द्वारा प्रतिवादीगण को प्रश्नगत स्थल को विक्रीत करने से इंकार कर दिया था तो प्रतिवादीगण उस पर जबरन कब्जा करने की नियत रखने लगे तथा लगातार जबरन कब्जा करने की फिराक में हैं। प्रतिवादीगण बहुत ही दबंग एवं प्रभावशाली व्यक्ति हैं। दिनांक 23.08.2022 को प्रतिवादीगण अपने साथ मजदूरों को लेकर आये तथा वादीगण के प्रश्नगत स्थल पर खोदा खादी करने लगे जिस पर वादीगण ने उनको ऐसा करने से मना किया तो वे पुनः वादीगण से कहने लगे कि अभी भी वादीगण के मना कर देने तथा शोर पर बहुत से लोगो के आ जाने के कारण प्रतिवादीगण भविष्य में वादीगण को कब्जा कर निर्माण कार्य करने की धमकी देते हुए चले गये। वादीगण को भय व आशंका है कि प्रतिवादीगण किसी भी छड़ वादीगण के प्रश्नगत स्थल पर जबरन शक्तिबल के आधार पर कब्जा कर सकते हैं ऐसी स्थिति में यदि प्रतिवादीगण को जरिये अस्थाई निषेधाज्ञा वादीगण के स्वामित्व व कब्जे वाले प्रश्नगत स्थल पर कब्जा करने से नहीं रोका गया तो वे गैर कानूनी तरीके से प्रश्नगत स्थल पर कब्जा कर लेगे। प्रतिवादीगण के विरुद्ध अस्थाई निषेधाज्ञा का आदेश पारित किया न्यायहित में आवश्यक है, अगर ऐसा न किया गया तो शपथकर्ता व अन्य को अपूर्णनीय क्षति होगी जिसकी भरपाई किसी भी माध्यम से संभव न होगी।

वादीगण द्वारा फेहरिश्त 8 ग से कागज सं०–9 ग 1 उद्धरण खतौनी की सत्यप्रति कागज सं०–10 ग 1 इन्तखाब खसरा की सत्यप्रति, कागज सं०–11 ग 1 स्वयं के आधार कार्ड की छाया प्रति दाखिल किया है।

पत्रावली पर दाखिल सूची 8 ग के माध्यम से कागज सं०– 9 ग 1 उद्धरण खतौनी की सत्यप्रति, खसरा इन्तखाब की सत्यप्रति दाखिल की गयी जिसमें वादीगण का नाम खाता खसरा सं०–245 ख रकबा 0. 0150 हे० में सहखातेदार के रूप में दर्ज है। पत्रावली पर दाखिल किये गये अभिलेखों से विदित होता है कि वादीगण संदर्भित विवादित सम्पत्ति के मालिक, काबिज एवं दखील हैं और मामले के समस्त तथ्यों एवं परिस्थितियो के दृष्टिगत यदि इस स्तर पर वादीगण को वांछित एक पक्षीय अंतरिम व्यादेश का अनुतोष नहीं दिया गया तो उसे अपूर्णनीय क्षति कारित होगी और उसके वाद दायर का मकसद ही विफल हो जाएगा।

इस संबंध में माननीय इलाहाबाद उच्च न्यायालय द्वारा **मुकेश कुमार श्रीवास्तव बनाम अपर जिला जज, इलाहाबाद ए०सी०जे० 1998** पेज–13 Civil Misc. Writ Petition no.6025 of 1998 decided on 4th March, 1998 के मामले में यह अभिनिर्धारित किया गया है कि वादग्रस्त सम्पत्ति को संरक्षित किये जाने हेतु अन्तिरम व्यादेश का आदेश पारित किया जाना चाहिये।

माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा **महरवाल खेवाजी ट्रस्ट बनाम बलेदव दास 2004(57)ए०एल०आर० 428** के मामले मं यह अभिनिर्धारित किया गया है कि After filing of the suit–Normally nature of property should not be allowed to be change–Unless it entails

irreparable loss of damage. Change of nature of property includes alienation of property which may lead to loss or damage being caused to the party which may ultimately succeed And may lead to multiplicity of proceeding– In case the stand of parties seeking interim injunction is found untenable–The other side can always be compensated by damages for loss suffered.

पारसनाथ सिंह बनाम श्रीमती सिरताजी कुँवारी एवं अन्य 2012(117)आर०डी० 143 के मामले में यह अभिनिर्धारित किया गया है कि अन्तरिम व्यादेश का प्रदान किये जाने का आधारभूत प्रयोजन वाद के लम्बित रहने के दौरान पक्षकारों के बीच में कार्य व्यवहार की स्थिति और साथ ही साथ वाद सम्पति की सुरक्षा करना है।

उपरोक्त तथ्यों एवम परिस्थितियों में वादी द्वारा प्रस्तुत अंतरिम अस्थाई निषेधाज्ञा प्रार्थना पत्र प्रतिवादी को निषेधित बनाये रखने की सीमा तक एक पक्षीय रूप से स्वीकार किये जाने योग्य पाया जाता है।

<u>आदेश</u>

प्रार्थना पत्र 6ग2 एक पक्षीय रूप से स्वीकार किया जाता है। प्रतिवादीगण को जरिये एक पक्षीय अंतिरम आदेश अग्रिम नियत तिथि तक वादी की प्रश्नगत भूमि सं–245ख रकबा 0.0150हे० जैसाकि उसकी भूगौलिक स्थिति राजस्व अभिलेखों में दर्ज है, पर किसी भी प्रकार से प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से हस्तक्षेप करने से निषेधित किया जाता है।

वादीगण को यह भी आदेशित किया जाता है कि आदेश 39 नियम 3 सी०पी०सी० का अनुपालन सुनिश्चित करे। वादीगण द्वारा यदि आदेश 39 नियम 3 सी०पी०सी० का अनुपालन न होने की स्थिति में अस्थायी निषेधाज्ञा का आदेश प्रभावी नहीं माना जायेगा। वादीगण को यह भी आदेशित किया जाता है कि अनावश्यक रूप से कोई स्थगन प्रार्थना पत्र प्रस्तुत नहीं किया जायेगा तथा प्रतिवादीगण के उपस्थित आने पर एवं आपत्ति प्रस्तुत करने पर अविलम्ब प्रार्थना पत्र 6ग2 पर अपनी बहस सुनिश्चित की जायेगी ताकि उक्त प्रार्थना पत्र का निस्तारण गुणदोष के आधार पर किया जा सके। इस आदेश का प्रभाव राज्य की किसी सम्पत्ति पर लागू नहीं होगा।

प्रतिवादीगण को नोटिस जारी हो। वाद वास्ते आपत्ति/निस्तारण प्रार्थना पत्र 6ग2 हेतु दिनांक 26/09/2022 को पेश हो।

(राशि तोमर)
सिविल जज (जू०डि०)भोगनीपुर
कानपुर देहात।
ID No. UP 2540